न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 36 A / 2021

अपीलांटस

1. अरविन्दकुमार पुत्र हिम्मतमल, जाति जैन, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
2. कुमारपाल पुत्र भंवरलाल, जाति जैन, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
3. दिपेश पुत्र महेन्द्रराज, जाति जैन, निवासी भैंसवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
4. नीतू पुत्री महेन्द्रराज, जाति जैन, निवासी भैंसवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
5. प्रमोद चौहान पुत्र बूटाराम, जाति छीपा, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
6. मधुदेवी पत्नि स्व. महेन्द्रराज, जाति जैन, निवासी भैंसवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
7. रिंकु पुत्री महेन्द्रराज, जाति जैन, निवासी भैंसवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
8. शेरेन्द्रीकंवर पत्नि महिपालसिंह ,जाति राजपूत, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
9. संदीप पुत्र महेन्द्रराज, जाति जैन, निवासी भैंसवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. अमराराम पुत्र भीमाराम, जाति कलबी, निवासी गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
2. केशा पुत्र सविया, जाति राईका, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
3. गैरी पत्नि सविया, जाति राईका, निवासी आहोर, तहसील आहेार, जिला जालोर (राज.)
4. दूदाराम पुत्र रतना, जाति कलबी, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
5. दलाराम पुत्र रूपा, जाति राईका, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
6. पदमादेवी पत्नि लालाराम, जाति राईका, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

7. मथरादेवी पत्नि उमाराम, जाति राईका, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
8. मूलकीदेवी पत्नि निम्बाराम, जाति कलबी, निवासी गोदन, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
9. मूलाराम पुत्र रूघनाथ, जाति कलबी, निवासी आहोर, जिला जालोर (राज.)
10. सीता देवी पत्नी सुजाराम, जाति कलबी, निवासी आहोर, तहसील आहोर, जिला जालोर (राज.)
11. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा आहोर।
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री योगेन्द्रसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस्
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11 अनुपस्थित (एक पक्षीय कार्यवाही)
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 27 / 07 / 2021

अपीलाण्टस् की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 69/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया लेकिन रेस्पोडेन्टस् बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे, जिस पर वकील अपीलाण्टस् की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस् द्वारा अपील के समर्थन में अपील मीमों पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के समक्ष दावा बाबत बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी.एक्ट के अन्तर्गत पेश किया था लेकिन श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्टस् समय पर हमारे अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये एवं आवश्यक मेहनताना भी नहीं दे पायें। इस कारण अपीलाण्टस् के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावें को विड्रो करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलाण्टस् को सुनवाई का अवसर दिये बगैर केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर एक तरफा आदेश पारित कर वादीगण का दावा अंतिम रूप से निर्णित कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय से क्षुब्ध होकर वादीगण अपीलाण्टस् द्वारा हस्तगत अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि की श्रीमान अधिनस्थ न्यायालय का एकतरफा पारित निर्णय न्याय के नियमों के विपरीत होने से खारीज करने योग्य है एवं ऐसा निर्णय न्याय की मंशा के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है तथा आगे बताया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलाण्टस् के दावें को दर्ज कर सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2021 तारीख पेशी मुकर्रर की थी लेकिन उस रोज तारीख पेशी पर हम वादीगण/अपीलाण्टस् हमारे अधिवक्ता से पैरोकारी करने के संबंध में सम्पर्क नहीं कर पाये एवं ना ही आवश्यक मेहनताना अदा कर पायें। इस कारण हमारे अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं हो पाया। फलस्वरूप अपीलाण्टस् के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दावें को विड्रोवल करने का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया लेकिन उस समय अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण/अपीलाण्टस् के अधिवक्ता की गैर हाजिरी दर्शाते हुए वादीगण/अपीलाण्टस् को नोटिस जारी कर सूचना प्रेषित करनी चाहिए थी लेकिन उक्त कानूनी प्रकिया की पालना किये बगैर केवल मात्र प्रार्थना पत्र के आधार पर वादपत्र को निरस्त कर अन्तिम रूप से पत्रावली को निर्णित कर दाखिल दफ्तर होने का निर्णय सुना दिया एवं ऐसा आदेश अन्तिम निर्णय में आता है जिसके विरूद्व वादीगण/अपीलाण्टस् को अपील पेश करने का कानूनन अधिकार है। आगे लिखा कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अस्पष्ट, कारण रहित एवं नॉन स्पिंकिग आदेश है, जो विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता। इस कारण वादीगण/अपीलाण्टस् न्यायालय हाजा की अपीलीय शक्तियों का उपयोग करवाते हुए अपील को गुणावगुण पर अन्तिम रूप से निस्तारित करवाकर न्याय प्राप्त करना चाहते है। इस कारण अपील कानूनन पोषणीय होने से स्वीकार करने योग्य है। आगे अपील में विस्तृत रूप से बताया कि सरहद मौजा आहोर के वर्तमान ख.न. 915 कुल रकबा 34.77 है. किस्म चाही व जाव दोयम की कृषि भूमि अपीलाण्टस् एवं रेस्पोडेन्टस् के नाम से शामलाती दर्ज है लेकिन मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त कदीमी काल से चला आ रहा है। अपील मीमों के साथ सम्पूर्ण आराजी का नक्शा शैड्यूल 'अ' बनाया गया है एवं नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क 'A' वाला भू–भाग अपीलान्ट संख्या 8 शेरेन्द्रीकंवर पत्नी महिपालसिंह के हिस्से में आया हुआ है जिसका कुल रकबा 4.995 हैक्टर है, इसी प्रकार मार्क 'B' वाला भू–भाग अपीलान्टस संख्या 1 से 7 एवं 9 के हिस्से में आया हुआ है जिसका कुल रकबा 8.0435 हैक्टर है एवं नक्सा में मार्क 'C' वाला भू–भाग समस्त रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 10 के हिस्से में आया हुआ है एवं इसी अनुसार समस्त खातेदारान मौके पर शान्तिपूर्वक लम्बे अर्से से काबिज काश्त है एवं सम्पूर्ण आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ रिकार्डेड रास्ता चालू नक्शे में दर्ज है। जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर सभी को समान रूप से रास्ते की सुविधा मिल रही है। इस प्रकार प्रस्तावित बंटवाडा समस्त खातेदारान को रास्ते की सुविधा का बराबर–बराबर लाभ मिलते हुए भौतिक रूप से मौके पर किया हुआ है एवं अपने–अपने हिस्सो की सीमा के बीच में मजबूत धोरा पाली भी कर रखी है। इस कारण अपीलाण्टस् शान्तिप्रिय व्यक्ति होने के कारण भविष्य की परेशानीयो से बचने के लिए खाते का अलग विभाजन करवाना चाहते है। इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दिशा के रिकॉडेड रास्ते की सुविधा मिलने के आधार पर प्रस्तावित बंटवाडा कानूनन विधिसम्मत् होने से डिक्री करने योग्य है एवं निवेदन किया कि बंटवाडे के दौरान अपीलाण्टस् के हिस्से में आये भू–भाग पर रेस्पोडेन्टस् किसी भी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से भी पाबंद करने का निवेदन किया। अन्त में निवेदन किया कि अपीलाण्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर का निर्णय दिनांक 30.06.2021 को अपास्त किया जाकर नक्शा शैड्यूल 'अ' माफिक समस्त पक्षकारान को रास्ते की बराबर–बराबर सुविधा मिलते हुए बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के आधार पर बंटवाडे के डिक्री के जरिये खाते का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने के तहसीलदार आहोर को आदेश प्रदान करावें। चूंकि रेस्पोडेन्टस् के सम्मन काफी लम्बी प्रतिक्षा करने के बावजूद भी तामिल होकर नहीं लौट रहे थे जिस पर अपीलाण्टस् की ओर से नोटिस अखबार चस्पा करवाने का प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से अनुमति चाही थी जिस पर न्याय हित में अखबार चस्पा की अनुमति दी गई थी, लेकिन सार्वजनिक अखबार में नोटिस के संबंध में आम सूचना प्रकाशित होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 11 अनुपस्थित रहे है, इस कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

इसके बाद विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टस् द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आहोर के वर्तमान ख.न. 915 की भूमि में अपीलाण्टस् एवं रेस्पोडेन्टस शामलाती एवं रिकॉडेड खातेदार है एवं मौके पर भौतिक रूप से कई वर्षो से अलग–अलग शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है एवं अपने–अपने हिस्से की नक्शा शैड्यूल 'अ' माफिक मौखिक बंटवाडा हो रखा है एवं बीच की सीमा में मजबूत मेडबंदी भी की हुई है एवं सम्पूर्ण आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ रेकर्डेड रास्ता मौजूद है, लेकिन रेस्पोडेन्टस् प्रभावशाली एवं झगडालू व्यक्ति है इस कारण विधिसम्मत तरीके से बंटवाडा करने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं हो रहे है जबकि अपीलाण्टस् शान्तिप्रिय एवं कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति है। इस कारण समस्त पक्षकारान को रास्ते की बराबर–बराबर सुविधा मिलते हुए बंटवाडे की डिक्री के जरिये खाते का विभाजन करवाना चाहते है एवं उक्त दस्तावेज बंटवाडा से किसी भी पक्षकारान को किसी भी प्रकार से नुकसान होने की संभावना नहीं है। इस कारण प्रस्तावित बंटवाडा कानूनन विधिसम्मत होने से स्वीकार करने योग्य है।

इसके बाद रेस्पोडेन्टस् संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि चूंकि प्रस्तावित बंटवाडा से किसी भी प्रकार का राज हित प्रभावित नहीं हो रहा है लेकिन उक्त बंटवाडा के संबंध में किसी भी प्रकार की मौका रिपोर्ट अथवा दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्टस् द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपील खारीज करने योग्य बताई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का भी गहन अध्ययन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित वाद पत्र की प्रतिलिपि एवं निर्णय पत्रावली का भी गहन अनुशीलन किया गया, जिससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि ग्राम आहोर तहसील आहोर जिला जालोर के वर्तमान ख.न. 915 कुल रकबा 34.77 है. की भूमि अपीलाण्टस् एवं रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 10 की चालू जमाबंदी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में शामलाती अमल दरामद है एवं अपील के साथ प्रस्तुत ऑनलाईन नक्शा की प्रतिलिपि से भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है की सम्पूर्ण आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ लगता रेकर्डेड रास्ता मौजूद है एवं अपीलाण्टस् द्वारा नक्शा शैड्यूल 'अ' में जो बंटवाडा चाहा गया है उक्त प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार समस्त खातेदारान को रिकॉर्डेड रास्ते की सुविधा का लाभ सीधे–सीधे मिल रहा है एवं किसी भी पक्षकारान को मुख्य रेकर्डेड रास्ते से हटाकर पीछे की तरफ नहीं धकेला गया है। इस प्रकार अपीलाण्टस् सदभावनापूर्वक भविष्य की परेशानीयो से बचने के लिए स्वच्छ हाथों से न्यायालय हाजा में आये है। इस प्रकार अपीलाण्टस् न्यायालय हाजा की अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करवाते हुए अपील मीमों के साथ संलग्न नक्शा शैड्यूल 'अ' माफिक बंटवाडा करवाने के कानूनन अधिकारीणी होने से अपील पोषणीय होने से मेरी विन्रम राय में स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपीलाण्टस् की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर के राजस्व दावा संख्या 69/2021 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अपील मीमों तथा लिखित एवं मौखिक बहस के कथनों एवं उपलब्ध समस्त दस्तावेजो के विवेचन तथा विधि के अनुशीलन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादीगणों के वाद पत्र एवं हस्ताक्षरित नक्शा शैड्यूल 'अ' तथा हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी अपीलाधीन आदेश के अभिन्न अंग रहेंगे तथा सभी पक्षकारान को मुख्य सडक पर आने–जाने की पूर्ण सुविधा रहेगी, अपील मीमो में सभी हितबद्व पक्षकारान राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपने–अपने हिस्से एवं मौके पर कब्जे की स्थिति अनुसार नक्शा शैड्यूल 'अ' में मार्क 'A' वाला भू–भाग बंटवाडा को जरिये अपीलाण्टस् संख्या 8 एवं नक्शे में मार्क 'B' वाला भाग अपीलाण्टस् संख्या 1 से 7 एवं 9 के हिस्से में दर्ज करने हेतु विभाजन का आदेश दिया जाता है एवं नक्शे में मार्क 'C' वाला भू–भाग रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 से 10 के नाम शामलाती दर्ज कर खाते का अलग विभाजन कर तहसीलदार आहोर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
27/07/2021